



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260658  
CG-DL-E-31012025-260658

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2025/माघ 10, 1946

No. 545]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2025/MAGHA 10, 1946

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2025

**का.आ. 549(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4966-(अ) दिनांक 19 नवम्बर, 2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. 56 (पुराना रा. रा. 113) के कि.मी. 72.00 से कि.मी. 83.00 (प्रतापगढ़ सिटी बाईपास) तक के भूखण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16.12.2024" को "दैनिक भास्कर" और "दैनिक जय कांठल" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दें दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

राजस्थान राज्य के प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. 56 (पुराना रा. रा. 113) के कि.मी. 72.00 से कि.मी.

83.00 (प्रतापगढ़ सिटी बाईपास) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: प्रतापगढ़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: प्रतापगढ़					
गांव का नाम: अमलावद					
1	1833	निजी	आबादी	0.0016	श्रीमती गुलशन बी पत्नि निसार मोहम्मद
2	1839	निजी	कृषि भूमि	0.0909	कैलाश पुत्र भागीरथ मेघवाल
3	1839/2632	निजी	आबादी	0.0271	मक्सुदा बी पत्नि खुर्शीद मोहम्मद
4	1839/2648	निजी	आबादी	0.0125	मक्सुदा बी पत्नि खुर्शीद मोहम्मद
5	1856	निजी	कृषि भूमि	0.169	ललित कुमार पुत्र कृष्ण चंद्र
6	1899	निजी	कृषि भूमि	0.5523	अशोक कुमार पुत्र रामनारायण 1/4, गिरिराज पुत्र रामनारायण रेहन हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक, प्रतापगढ़, 1/4,

					बसंतलाल पुत्र सेवाराम 1/2
7	1932	निजी	कृषि भूमि	0.15	अब्दुल सत्तार पुत्र रहीम बक्श कागजी
<b>गांव का नाम: प्रतापगढ़</b>					
8	1336	निजी	कृषि भूमि	0.08	कला वाई पत्ति बाबूलाल 1/6, कैलाश पुत्र कन्हैयालाल 1/4, राहुल पुत्र बाबूलाल 1/6, शांतीबाई पुत्रि इंदरमल 1/4, सुनील पुत्र बाबूलाल 1/6
<b>गांव का नाम: बनेड़िया खुर्द</b>					
9	12/382	निजी	आबादी	0.07	दीपिका पत्ति राहुल राठोर
<b>Total</b>				<b>1.1534</b>	

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2018-19/39/3D]

अभय जैन, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2025

**S.O. 549(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4966(E) Dated:19 Nov, 2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), Maintenance, management and operation of NH-56 (Old NH-113) in the stretch of land from Km. 72.00 to Km. 83.00 (Pratapgarh City Bypass) in the District of Pratapgarh in the State of Rajasthan.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Bhaskar**” and “**Dainik Jay Kanthal**” both dated 16.12.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-56 (Old NH-113) in the stretch of land from Km. 72.00 to Km. 83.00 (Pratapgarh City Bypass) in the District of Pratapgarh in the State of Rajasthan.

State: RAJASTHAN			District: PRATAPGARH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Pratapgarh</b>					
<b>Village: Amlawad</b>					
1	1833	Private	Residential	0.0016	Shrimati Gulshan Bee WO Nisar Mohammad
2	1839	Private	Agriculture Land	0.0909	Kailash SO Bhagirath Meghwal
3	1839/2632	Private	Residential	0.0271	Maksuda Bee W/o Khurshid Mohammad
4	1839/2648	Private	Residential	0.0125	Maksuda Bee W/o Khurshid Mohammad
5	1856	Private	Agriculture Land	0.169	Lalit Kumar SO Krishna Chandra
6	1899	Private	Agriculture Land	0.5523	Ashok Kumar S/o Ramnarayan 1/4, Giriraj S/o Ramnarayan Rehen Hissa Punjab National Bank, Pratapgarh, 1/4, Basantlal S/o Sevaram 1/2
7	1932	Private	Agriculture Land	0.15	Abdul Sattar SO Rahim Baksh Kagzi
<b>Village: Pratapgarh</b>					
8	1336	Private	Agriculture Land	0.08	Kala Bai W/o Babulal 1/6, Kailash S/o Kanhaiyalal 1/4, Rahul S/o Babulal 1/6, Shantibai D/o Indermal 1/4, Sunil S/o Babulal 1/6
<b>Village: Banediya Khurd</b>					
9	12/382	Private	Residential	0.07	Dipika W/o Rahul Rathore
<b>Total</b>				<b>1.1534</b>	

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2018-19/39/3D]

ABHAY JAIN, Director